राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1071/2011

रमेश चन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बून्दी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.08.2011
आदेश की दिनांक : 15.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 16.10.1984 द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई और अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पंचायत समिति, केशोराय पाटन बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी प्रारंभ में जल ग्रहण विभाग (कृषि), जिला बूंदी में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त था। आयुक्त एवं निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर ने आदेश दिनांक 24.03.2004 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 17 के तहत परिनिंदा के दंड से दण्डित किया गया। कृषि विभाग ने आदेश दिनांक 17.01.2003 (अनुलग्नक–2) द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं की वरिष्ठता सूची जारी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 91 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2004 (अनुलग्नक–3) द्वारा 80 कनिष्ठ अभियंताओं को उनके स्वयं के वेतनमान में कार्य व्यवस्थार्थ के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा 5 कनिष्ठ अभियंताओं एवं अपीलार्थी की वरिष्ठता को नजर अंदाज कर अन्य कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। पुनः दिनांक 30.10.2009 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 168 कनिष्ठ अभियंताओं का "पातेय वेतन" पर सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया तथा इस बार भी अपीलार्थी का नाम हटा दिया

गया तथा उसे लाभ से वंचित कर दिया गया (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी ने दिनांक 20.11.2009 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उस पर लगाए गए दण्ड को नजर अंदाज करते हुए उसका नाम पदोन्नति सूची में शामिल करने का अनुरोध किया, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने अपने वकील के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भेजा और प्रत्यर्थी विभाग से अपीलार्थी के पदोन्नति आदेश तुरंत जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन विभाग द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2004 एवं 30.10.2009 को अपास्त किया जावे और अपीलार्थी को सहायक अभियन्ता के पद पर परिनिन्दा के दण्ड को अनदेखा करते हुए, पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी कार्मिक को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। कृषि अभियन्ताओं की पदोन्नति संवर्ग नियन्त्रण कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा अभी तक डी.पी.सी. आयोजित नहीं की गयी है। अपीलार्थी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.03.2004 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। राज्य सरकार ने नरेगा योजना में सहायक अभियन्ता के पद के विरूद्ध तात्कालिक कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्वयं के पातेय वेतन पर पदस्थापना हेतु विभाग के वरिष्ठतम अभियन्ताओं की सूची (स्क्रिनिंग सहित– विभागीय जांच लम्बित / दण्डित अभियन्ताओं को छोड़कर) सूची चाही गयी थी। राज्य सरकार ने स्क्रिनिंग के माध्यम से विभागीय जांच लम्बित दण्डित अभियन्ताओं को छोड़कर उक्तानुसार नरेगा योजना में पदस्थापन आदेश दिनांक 30.10.2009 जारी किया गया जो कि डी.पी.सी. के द्वारा नियमित पदोन्नति नहीं थी। अपीलार्थी सी.सी.ए. नियम 17 के तहत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित होने के कारण उक्त सूची में सम्मलित नहीं किया गया जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। सी.सी.ए. नियमावाली 1958 के नियम– 14 के तहत परिनिन्दा का दण्ड, दण्ड की श्रेणी में आता है। इसी तरह के समान 6 प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है। उक्त छह प्रकरणों में विवाद का बिन्दु एक ही है। अतः निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के निर्णय का इन्तजार किया जाना विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेशों द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की परन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध परिनिन्दा के दण्ड के कारण उसके नाम पर विचार नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब एवं आलौच्य आदेश दिनांक 28.02.2004 एवं 31.03.2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन आदेशों से नियमित पदोन्नति प्रदान नहीं की गई बल्कि कार्यव्यवस्थार्थ/पातेय वेतन में सहायक अभियन्ता के पद पर लगाया है। परन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध जांच लम्बित रहने/परिनिन्दा के दण्ड के कारण उसके नाम पर विचार नहीं किया।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिनिन्दा के दण्ड के आधार पर अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं करना एवं उसे कार्यव्यवस्थार्थ/पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त नहीं करना नियमानुसार है ? कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.07.2006 में एक परिनिन्दा के दण्ड हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित करने का प्रावधान है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक प्रकरणों में परिनिन्दा के आधार पर पदोन्नति नहीं देने को उचित नहीं माना है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने हरभजन मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 5715/1997) में पारित निर्णय दिनांक 04.02.2010 में यह अभिनिर्धारित किया हैः—

> "Service Law-Promotion-Stoppage of two grade increments with cumulative effect awarded to petitioner-Sald penalty followed by censure-No other adverse entry against petitioner-No allegation that service record was not good-Criteria of promotion being seniority-cum-marit, withholding promotion on penalty of censure not Justified--Minimum merit alone necessary-Petitioner held entitled to promotion for vacancy of 1995-36."

राजस्थान राज्य बनाम अशोक सिंघवी (डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 232/2013) में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैः—

> "Rajasthan Medical & Health Service Rules, 1963, Rule 24-A Service Law - Promotion - Promotion to post of Junior Specialist, (Orthopaedics, sans) the Circular, dated 26.7.2006 Order of Single Judge directing authorities to consider petitioners case ignoring said circular - No merit in this appeal - Hence, appeal dismissed."

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता की जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 17.01.2003 (अनुलग्नक—2) अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 91 पर है एवं आलौच्य आदेश दिनांक 30.10.2009 में अपीलार्थी से कनिष्ठों को पातेय वेतन में सहायक अभियन्ता

नरेगा के पद पर लगाया एवं अपीलार्थी परिनिन्दा के दंड से दंडित होने के कारण उसके नाम पर विचार नहीं करना नियमानुसार नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पदोन्नति का आधार वरिष्ठता सह योग्यता हो वहां परिनिन्दा की शास्ति पदोन्नति को रोकने का आधार नहीं हो सकती। कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता की पदोन्नति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर होती है। अतः जब परिनिन्दा के दण्ड के आधार पर सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति से नहीं रोका जा सकता तो फिर पातेय वेतन में सहायक अभियन्ता लगाये जाने में कोई बाधा नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है यदि अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर/उच्चतर पद पर पदोन्नति नहीं हुई है एवं विभाग में पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता लगाये हुए है तो अपीलार्थी को सहायक अभियन्ता के पद पर पातेय वेतन के पद पर लगाया जाकर उसकी सेवाएं ली जावे। तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)